**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1493**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में से उभ्यलिंगी व्यक्तियों को बाहर रखना**

**1493. श्रीमती वंदना चव्हाणः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1971 से पूर्व के प्रमाण पत्र न होने के कारण असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से कई उभ्यलिंगी व्यक्तियों को बाहर रखा गया है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार ने उभ्यलिंगी समुदाय, जिनमें से कई के पास उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार या छोड़ दिए जाने के कारण उपयुक्त दस्तावेज नहीं हो सकते हैं उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर इस मुद्दे पर ध्यान दिया है;**

**(घ) क्या सरकार ने उन उभ्यलिंगी व्यक्तियों को कोई सहायता प्रदान की है, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं; और**

**(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ङ): माननीय उच्‍चतम न्यायालय के निदेशानुसार, शामिल किए गए व्यक्तियों की अनुपूरक सूची की हार्ड प्रति और शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों की परिवार-वार ऑनलाइन सूची 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई थी। ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों की कोई सूची पृथक रूप से प्रकाशित नहीं की गई थी।

\*\*\*\*\*